न्यायालय–अपर सत्र न्यायाधीश, नवम्

सारण, छपरा।

बी.पी.415 /2026

दाउदपुर थाना कांड संख्या–42/2026

अंतर्गत धारा 329(3),331(2),332(2),333, 126(2),127(2),118(1),109,352,351(2)एवं(3) 3(5) बी.एन.एस एवं 27 शस्त्र अधिनियम

रणविजय सिंह उर्फ धड़ाका.....आवेदक

बनाम

बिहार सरकार.....विपक्षी।

17.03.2026 काराधीन अभियुक्त रणविजय सिह उर्फ धड़ाका की ओर से दाखिल नियमित जमानत आवेदन पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री दिनेश्वर सिंह कौशिक एवं विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री अनील कुमार सिंह को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया।

प्राथमिकी के अनुसार सूचक का आरोप है कि दिनांक 10.02.2026 को अवधेश सोनी, विजेन्द्र प्रताप सिंह, मकेश्वर सिंह, पिन्टु सिंह, आशुतोष कुमार सिंह सहित अन्य अभियुक्तगण तथा दो अज्ञात उसके गेट के अन्दर घुसकर गाली गलौज एवं लप्पड़–थप्पड़ करने लगे। मकेश्वर सिंह पिस्टल से उसके उपर गोली चलाए जो कपड़ा को छेदते हुए निकल गया। उज्जवल सिंह उसे पकड़ लिया। रणविजय सिंह उर्फ धड़ाका ने पिस्टल से उसके उपर गोली चलाये जो बायें पैर में लगा। उसके बाद विजेन्द्र प्रताप सिंह पुनः गोली चलाये जो कमर के पास लगा। पिन्कु सिंह एवं अवधेश सोनी चाकू से उसके उपर हमला किया जो ललाट पर लगा और कट गया। अवधेश सिंह एवं पिन्कु सिंह गोली चलाये जो पास से निकल गया। रणविजय सिंह उर्फ धड़ाका चाकू से उसके ड्राईवर पर हमला किया जिससे सर एवं हाथ में जख्म हो गया।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस करते हुए तर्क दिया गया कि वह निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है। आवेदकगण द्वारा कोई अग्रिम या नियमित जमानत आवेदन किसी अन्य न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है। आवेदक का बारह मामले का आपराधिक इतिहास है। दोनों पक्षों के बीच पलटावाद दायर है। उभयपक्ष में पूर्व का विवाद है। गोली से किसी को जख्म कारित नहीं हुआ है। पूर्व से सह अभियुक्तगण जमानत पर है। आवेदक दिनांक 11.02.2026 से कारा

अभिरक्षा में है। आवेदक उचित जमानत देने को तैयार है। अंत में विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत दिये जाने की प्रार्थना की गई है।

अभियोजन की ओर से विरोध किया गया और कथन किया गया कि आवेदक द्वारा कई लोगों को मारकर गंभीर जख्म कारित किया गया है। मामला जमानत योग्य नहीं है।

उभयपक्ष को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्राथमिकी 329(3),331(2),332(2),333,126(2),127(2),118(1),109,352, 351(2) एवं (3)3(5) बी.एन.एस एवं 27 शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत दर्ज हुआ है। कांड दैनिकी के पैरा 5 में वादी का पुनः बयान, पैरा 6 में साक्षी का बयान है जिसने घटना का समर्थन किया है। पैरा 17 आवेदक का आपराधिक इतिहास दर्ज है। पैरा 48 एवं 49 में दर्ज जख्म प्रतिवेदन के अनुसार चिकित्सक द्वारा जख्म की प्रकृति को साधारण बताया गया है। आरोप सामान्य एवं सर्वग्राही है। उभयपक्ष में पूर्व से विवाद है। पूर्व से सह अभियुक्त जमानत पर है। कांड का अनुसंधान जारी है। आवेदक दिनांक 11.02.2026 से कारा अभिरक्षा में है।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए मामला जमानत योग्य पाया जाता है। उपरोक्त आवेदक अभियुक्त को विद्वान अधीनस्थ न्यायालय की संतुष्टि पर 10,000 (दस हजार) रुपये एवं समान राशि के दो प्रतिभु द्वारा बंधपत्र दाखिल करने पर द0प्र0स0 की धारा 437(3) एवं 441(ए) के शर्तो के अधीन जमानत पर छोड़े जाने का आदेश इस शर्त पर दिया जाता है कि आवेदक अनुसंधान में सहयोग करेंगे।

शर्त– 1. आवेदक का दोनों जमानतदार स्थानीय न्यायालय के क्षेत्राधिकारी के होंगे।

2. आवेदक अनुसंधान में सहयोग करेंगे।

3. दो या दो से अधिक तिथि तक लगातार अनुपस्थित रहने पर आवेदक का बंधपत्र खंडित कर दिया जायेगा।

लेखापित

अपर सत्र न्यायाधीश, नवम्
सारण, छपरा।